


संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक-नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/94 दिनांक 28.2.09 के द्वारा एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने वाले जीएनएम की चयन सूची जारी की जा कर सूची में नवीन अभ्यर्थियों के रूप में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों का पदस्थापन स्थान का आवंटन निदेशालय के पत्रांक-नर्सिंग/जीएनएम/एनआरएचएम/09/95-99 दिनांक-28.2.09 एवं पत्रांक-नर्सिंग/जीएनएम/एनआरएचएम/09/102 दिनांक-2.3.09 के द्वारा किया गया था, जिसमें से निम्नांकित अभ्यर्थियों के पदस्थापन स्थान में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी	स्थान आवंटन सूची का क्रमांक	आवंटित स्थान	नवीन आवंटित स्थान
1	महेश चंद सैन / रमेश चंद सैन	151	पीएमओ, बांसवाडा	सीएमएचओ, बांसवाडा
2	शारदा / अमीलाल सारण	556	पीएमओ, जैसलमेर	सीएमएचओ, जोधपुर
3	रविन्द्र नागर / हरिनारायण नागर	346	पीएमओ, बांरा	सीएमएचओ, कोटा
4	जितेन्द्र कुमार नामा / महावीर प्रसाद नामा	484	पीएमओ, बांरा	पीएमओ, टोंक
5	भगवान राम मुण्डेल / माधोराम मुण्डेल	584	पीएमओ, जैसलमेर	सीएमएचओ, जोधपुर
6	रामनिवास / नोपाराम सामोता	127	सीएमएचओ, प्रतापगढ	सीएमएचओ, सीकर
7	रेखा राम / बलदेव राम	343	पीएमओ, नागौर	सीएमएचओ, नागौर
8	विकेश / जयप्रकाश	221	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	सीएमएचओ, झुन्झुनू
9	हरबलवन्त सिंह राठौड / अमर सिंह राठौड	160	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सीएमएचओ, जयपुर-2
10	रामगोपाल / भंवरलाल	577	पीएमओ, जैसलमेर	सीएमएचओ, जोधपुर
11	सावित्री गढवाल / संतोष कुमार	315	सीएमएचओ, करौली	सीएमएचओ, सीकर
12	नूर मोहम्मद खान / लियाकत अली खान	153	पीएमओ, राजसमंद	सीएमएचओ, भीलवाडा


शेष शर्तें एवं नियम यथावत लागू रहेंगे। उपस्थिति प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि भी दिनांक 8.6.09 ही रहेगी। उक्त अभ्यर्थियों में से किसी ने कार्यग्रहण कर लिया है, तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा नवीन आवंटित जिले में पद रिक्त होने पर ही यह आदेश लागू होगा।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: नर्सिंग/एनआरएचएम/09/187

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक- निस/मंचिस्वा/09/1405 दिनांक-5.6.09 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों से संबंधित मूल आवेदन पत्र नवीन आवंटित स्थान पर विशेष वाहक के साथ तत्काल भिजवाने / प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर, निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करावें।
4. संबंधित अभ्यर्थी को पालनार्थ
5. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।